<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

<u>दांडिक अपील क्र. 610/1998</u>

अपीलार्थी : राजनाथ उर्फ राजनाथ

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 09.10.2012 को सूचीबद्ध करे।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्र.610/1998

अपीलार्थी: राजनाथ उर्फ राजनाथ

बनाम

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

उपस्थितिः-

श्री शक्ति राज सिन्हा, अधिवक्ता अपीलार्थी हेतु।

श्री प्रवीण दास, उप-शासकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील</u>

<u>निर्णय</u>

(9.10.2012)

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा विशेष प्रकरण क्र.140/1997 में दिनांक 19.2.1998 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके तहत अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (संक्षेप में "विशेष अधिनियम") की धारा 3 (1) (xi) के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे छह महीने के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने का दंड दिया गया था; व्यतिक्रम की दशा में, उसे दोनों प्रकरणों में डेढ़ महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.7.1996 को, अभियोक्त्री (अ.सा.-1)—जो उस समय लगभग 14 वर्ष की थी और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित

थी—द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई गई थी। उसने आरोप लगाया कि दिनांक 16.7.1996 को, जब वह भरत परहिन (अ.सा.-3) और घुतरा परहिन (अ.सा.-4) के साथ खेत से लौट रही थी, तो अभियुक्त/अपीलार्थी, जो तालाब के पास मौजूद था, ने उसका बायाँ हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे परेशान करने के लिए, उसने बुरे आशय से उसके चेहरे और माथे पर सिंदूर लगा दिया और फिर घटनास्थल से भाग गया। घर पहुँचने पर, उसने घटना की जानकारी अपनी माँ को दी; चूँकि रात हो रही थी और अंधेरा घिर आया था, इसलिए उसी दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकी। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और विशेष अधिनियम की धारा 3 (1) (xi) के तहत अपराध पंजीकृत किए गए। अन्वेषण पूरा होने के बाद, दिनांक 5.8.1996 को इन्हीं धाराओं के आधार पर अपराधों के लिए अभियोग-पत्र दायर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने प्रकरण के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 06 साक्षियों की परीक्षण किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान भी दर्ज किया गया। जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए, इस प्रकरण में झूठा फंसाए जाने की बात कही।

4. दोनों पक्षकारों के प्रस्तुत तर्क सुनने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उसे सज़ा सुनाई, जैसा कि इस निर्णय के कंडिका क्र.1 में बताया गया है।

5. आरोपी/अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने जो कहानी पेश की है, वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि किसी लड़के के लिए खुलेआम सिंदूर लगाना सचमुच नामुमकिन है—विशेषतः जब पीड़िता अपने दो मित्रों, यानी भरत परहिन (अ.सा.-3) और घुतरा परहिन (अ.सा.-4) के साथ थी। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता के चेहरे और माथे पर सिंदूर लगाने से भारतीय दंड संहिता की धारा 354 या विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के तहत कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा

सकता कि कथित कृत्य से आरोपी/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री लज्जा भंग की है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी/अपीलार्थी ने किसी भी तरह का हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के जाति प्रमाण पत्र या उसकी जाति से जुड़ा कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है; इस आधार पर भी, विशेष अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के तहत आरोपी/अपीलार्थी को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है। अंत में, उन्होंने यह निवेदन किया कि यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत आरोपी/अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार भी रखा जाता है, तो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घटना के समय उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी, यह घटना लगभग 16 वर्ष पहले हुई थी, और साथ ही यह कि उक्त धारा के तहत जेल की सज़ा अनिवार्य नहीं है—उसे जेल न भेजा जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और निवेदन किया कि आरोपी/अपीलार्थी का कृत्य विशेष अधिनियम की धारा 3 (1) (xi) के दायरे में पूरी तरह से आता है, क्योंकि पीड़िता के चेहरे और माथे पर सिंदूर लगाते समय उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 350 के तहत परिभाषित 'आपराधिक बल' का प्रयोग किया था। पीड़िता के बयान का उल्लिखित करते हुए, जिसका भरत परहिन (अ.सा.-3) और घुतरा परहिन (अ.सा.-4) ने भी सम्यक् रुप से समर्थन किया है, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी/अपीलार्थी के इस कृत्य के कारण पीड़िता को बहुत बुरा लगा। राज्य के अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्त्री की जाति के संबंध में कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया है, फिर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में, आरोपी/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री की जाति 'कंवर' स्वीकार की है, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आती है। उसी बयान में, आरोपी/अपीलार्थी ने अपनी जाति भी 'पनिका' स्वीकार की है; इसलिए, उसकी जाति से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ का पेश न किया जाना अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक साबित नहीं होगा।

7. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में यह अभिकथित किया है कि वह 'कंवर आदिवासी' जाति से संबंध रखती है, जबकि आरोपी/अपीलार्थी की जाति 'पनिका' है। उसके अनुसार, घटना वाले दिन जब वह भारत परहिन (अ.सा.-3) और घुतरा परहिन (अ.सा.-4) के साथ खेत से लौट रही थी, तो आरोपी/अपीलार्थी तालाब के पास सिंदूर लेकर उपस्थित था। वह उसके पास आया और उसके माथे पर सिंदूर लगाने के बाद वह वहाँ से चला गया। उसके माथे पर लगाया गया सिंदूर बाद में घुतरा परहिन (अ.सा.-4) द्वारा धो दिया गया; घर पहुँचने पर उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस गवाह ने आगे कहा कि उसके माथे पर सिंदूर लगाए जाने के कारण उसे बहुत बुरा लगा। प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने कहा कि यद्यपि आरोपी/अपीलार्थी के उसके पिता के साथ घनिष्ठ संबंध थे और वह अक्सर उनके घर आता-जाता रहता था, फिर भी उसके साथ अभियोक्त्री के कोई मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे। उसके अनुसार, घटना स्थल के पास कई लोग घूम रहे थे। आनंद राम (अ.सा.-2), जो पीड़िता के पिता हैं, ने बयान दिया है कि वे आरोपी/अपीलार्थी को जानते थे और घटना वाले दिन खेत से लौटने के बाद, अभियोक्त्री रोने लगी और उन्हें बताया कि आरोपी/अपीलार्थी ने उसके चेहरे पर सिंदूर लगा दिया था; इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भारत परहिन (अ.सा.-3) ने यह अभिकथित किया कि आरोपी/अपीलार्थी 'पनिका' जाति का है और अभियोक्त्री 'अनुसूचित जनजाति' समुदाय की है। भरत परहिन के अनुसार, घटना वाले दिन शाम लगभग 5 बजे, जब वे पीड़िता के साथ खेत से लौट रही थीं, तो आरोपी/अपीलार्थी, जो तालाब के पास खड़ा था, ने ज़बरदस्ती पीड़िता के माथे पर सिंदूर लगा दिया; जिसके परिणामस्वरूप वह (अभियोक्त्री) रोने लगी और उसने आरोपी को डांटा। इसके बाद, इस साक्षी के अनुसार, आरोपी/अपीलार्थी मौके से चला गया। घुतरा परहिन (अ.सा.-4) ने भी लगभग वैसा ही बयान दिया है जैसा भारत परहिन (अ.सा.-3) ने दिया था। इस साक्षी के अनुसार, सिंदूर लगाने का मतलब है किसी को ज़बरदस्ती अपनी पत्नी बनाना। आर.एन. सिंह (अ.सा.-5) वह साक्षी हैं जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी और उसे 'हरिजन थाना' में स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का पूरी तरह से समर्थन किया है। के.आर. कामरे (अ.सा.-6) जो अन्वेषण अधिकारी हैं, ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का पूरी तरह से समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. साक्ष्यों की सूक्ष्मता से परीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना वाले दिन, जब पीड़िता अपनी सहेलियों (अ.सा.-3 और अ.सा.-4) के साथ खेत से लौट रही थी, तो आरोपी/अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे तथा माथे पर सिंदूर लगा दिया; जिसके परिणामस्वरूप वह हक्की-बक्की रह गई और उसे बहुत बुरा लगा। साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि आरोपी/अपीलार्थी द्वारा सिंदूर लगाए जाने के कारण वह रोने लगी और घर लौटने पर उसने अपनी माँ को पूरी घटना विस्तार से बताई। अभियोक्त्री के साक्ष्य का समर्थन आनंदराम (अ.सा.-2), भारत परहिन (अ.सा.-3) और घुतरा परहिन (अ.सा.-4) द्वारा विधिवत किया गया है।

9. इस प्रकरण में किसी विशिष्ट निर्णय पर पहुँचने के लिए, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विधिक उपबंधों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर ध्यान दिया जाए, जो इस प्रकार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. **अत्याचार के अपराधों के लिए दंड**.- (1) जो कोई भी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए,-

(xi) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला पर हमला करता है या उसके ऊपर बल का प्रयोग करता है, इस आशय से कि उसका अपमान करे या उसकी लज्जा भंग करे;"

"350. **आपराधिक बल**.- जो कोई, किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए, या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या ऐसी बल के प्रयोग से संभाव्यतः उस व्यक्ति को, जिस पर बल का प्रयोग किया गया है, क्षति, भय या क्षोभ, कारित करेगा यह जानते हुए साशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता हैं।

354. **महिला की लज्जा भंग करने की आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग**- जो कोई, किसी महिला की लज्जा भंग करने के

आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों दंड दिए जाएँगे।

लगभग समान तथ्यों वाले एक प्रकरण का निराकरण करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **रूपाण देओल बजाज (श्रीमती) और अन्य बनाम कंवर पाल सिंह गिल और अन्य (1995) 6 एस.सी.सी 194** के प्रकरण में, निम्नलिखित निर्णय दिया:-

“14. चूंकि 'लज्जा' शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए हम इसके शब्दकोश अर्थ को देख सकते हैं। 'शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी' (तीसरा संस्करण) के अनुसार, लज्जा का अर्थ है 'लज्जावान होने का गुण', और महिलाओं के संदर्भ में इसका अर्थ है "महिलाओं के व्यवहार की उचित मर्यादा; विचार, वाणी और आचरण की पूर्ण पवित्रता"। महिलाओं के संदर्भ में 'लज्जावान' शब्द को उपरोक्त शब्दकोश में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "आचरण और व्यवहार में शालीन; न तो ढीठ और न ही अश्लील; संकोची"। 'वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ़ द इंग्लिश लैंग्वेज' में लज्जा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "अशिष्टता, अभद्रता या अश्लीलता से मुक्ति; "पहनावे, बोली या बर्ताव में शालीनता का ध्यान रखना।" ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (1933 संस्करण) में 'लज्ज/शालीनता' शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया गया है: "महिलाओं के बर्ताव की शालीनता; सोच, बोली और बर्ताव में पूरी पवित्रता (चाहे पुरुष में हो या महिला में); सहज नापसंदगी या अश्लील बातों से पैदा होने वाला संकोच या शर्म।”

15. पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह प्रकरण में यह प्रश्न उठा कि क्या साढ़े सात महीने की बच्ची को भी शालीनता युक्त होना माना जा सकता है, जिसका अपमान किया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, न्यायमूर्ति मुधोलकर—जिन्होंने न्यायमूर्ति बचावत के साथ मिलकर बहुमत की राय रखी—ने यह निर्णय दिया कि जब किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महिला के साथ या उसकी मौजूदगी में कोई ऐसा कृत्य किया जाता है, जो आम इंसानी सोच के हिसाब से साफ़ तौर पर यौन-संबंधी इशारा करता हो, तो वह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध माना जाएगा। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माननीय जज ने जिन "आम इंसानी सोच" की बात की है, उन्हें आज के समाज के मानकों के हिसाब से ही परखा जाना चाहिए। दूसरे माननीय न्यायाधीश (श्रीमान् बचावत) ने यह टिप्पणी की कि एक महिला की शालीनता का मूल तत्व उसका 'स्त्री-होना' है, और जन्म से ही उसमें वह शालीनता मौजूद होती है, जो उसके स्त्री-होने का ही एक गुण है। लज्जा शब्द के उपर्युक्त दिए गए शब्दकोशी अर्थ और मेजर सिंह प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा उस शब्द की की गई व्याख्या को देखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि यह पता लगाने की अंतिम पैमाना कि क्या शालीनता का अपमान हुआ है, अपराधी का वह कृत्य है—जिसे देखकर ऐसा लगे कि वह किसी महिला की शालीनता की भावना को ठेस पहुँचाने में सक्षम है। जब इस प्रकरण में ऊपर बताए गए पैमाने को लागू किया जाता है—और सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है—तो इस नतीजे पर पहुँचे बिना नहीं रहा जा सकता कि श्रीमान गिल द्वारा श्रीमती बजाज के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारने का कथित काम, उनकी "शालीनता का अपमान" करने जैसा ही था; क्योंकि यह न केवल महिलाओं की शालीनता की सामान्य भावना का अपमान था, बल्कि उस महिला की गरिमा का भी अपमान था—भले ही उसमें "यौन-संबंधी इशारे" हों या न हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तारकेश्वर साहू बनाम बिहार राज्य (वर्तमान झारखंड) (2006) 8 एस.सी.सी. 560 प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“39. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध का सवाल है, किसी महिला की लज्जा भंग करने का इरादा, या यह जानकारी कि आरोपी के कृत्य से उसकी लज्जा भंग होगी, ही इस अपराध का मुख्य आधार है।

40. एक महिला की लज्जा का मूल तत्व उसका 'महिला होना' है। आरोपी का दोषपूर्ण आशय ही इस प्रकरण का मुख्य बिंदु है। महिला की प्रतिक्रिया बहुत प्रासंगिक होती है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हमेशा निर्णायक नहीं होती। लज्जा

एक ऐसा गुण है जो एक वर्ग के रूप में समस्त महिलाओं से जुड़ा होता है। यह एक ऐसा सद्गुण है जो किसी महिला में उसके महिला होना के कारण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है।

41. 'लज्जा' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> "'लज्जा/शालीनता'' शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया गया है: "महिलाओं के बर्ताव की शालीनता; सोच, बोली और बर्ताव में पूरी पवित्रता (चाहे पुरुष में हो या महिला में); सहज नापसंदगी या अश्लील बातों से पैदा होने वाला संकोच या शर्म।"

42. यह पता लगाने का अंतिम पैमाना कि किसी महिला की लज्जा भंग की गई है, उस पर हमला किया गया है या उसका अपमान किया गया है, यह है कि अपराधी का कृत्य ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर यह लगे कि वह किसी महिला की शालीनता की भावना को आहत करने में सक्षम है। सरेआम किसी महिला के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारना उसकी लज्जा भंग करने के बराबर होगा, क्योंकि यह न केवल स्त्री-शालीनता की सामान्य भावना का अपमान था, बल्कि उस महिला की गरिमा का भी अपमान था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. 'लज्जा' शब्द की व्याख्या किसी विशेष पीड़ित महिला के संदर्भ में नहीं, बल्कि एक ऐसे गुण के रूप में की जानी चाहिए जो एक वर्ग के तौर पर सभी स्त्रियों से जुड़ा होता है। यह एक ऐसा सद्गुण है जो स्त्री होने के नाते ही किसी महिला में निहित होता है।"

राजू पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2004) 4 एस.सी.सी 371 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"11. अब इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या अधिनियम की धारा 354 यहाँ लागू होती है, तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह प्रावधान किसी महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने को

दंडनीय अपराध बनाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं:

(a) हमला किसी महिला पर ही होना चाहिए।

(b) अभियुक्त ने उस महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग किया हो।

(c) आपराधिक बल का प्रयोग महिला की लज्जा भंग करने के आशय से किया गया हो।

12. महिला की लज्जा भंग होना किसे माना जाएगा, यह कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। एक महिला की लज्जा का मूल तत्व उसका 'स्त्री-त्व' है। अभियुक्त का दोषपूर्ण आशय ही इस प्रकरण का मुख्य बिंदु है। महिला की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसका सार हमेशा निर्णायक नहीं होता। इस धारा में 'लज्जा' एक ऐसा गुण है जो एक वर्ग के रूप में समस्त महिलाओं से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा सद्गुण है जो किसी महिला में उसके स्त्री-त्व के कारण स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है। किसी महिला को खींचना, उसकी साड़ी हटाना, और साथ ही यौन संबंध बनाने का अनुरोध करना—ये ऐसे कृत्य हैं जो निश्चित रूप से एक महिला की लज्जा भंग करने की श्रेणी में आते हैं; और यदि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान है कि उसके कृत्य से महिला की लज्जा भंग होने की संभावना है, तो केवल इतना ज्ञान ही इस अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त है—भले ही उसका एकमात्र और सीधा आशय केवल लज्जा भंग करना ही न रहा हो। जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारतीय दंड संहिता में "लज्जा" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 'शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी' (तीसरा संस्करण) में किसी महिला के संदर्भ में "लज्जा" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "आचरण और व्यवहार में शालीनता; जो न तो ढीठ और न ही अश्लील हो बल्कि संकोची; और पूर्णतः पवित्र हो।"

13. लज्जा को 'विनम्र या शालीन होने के गुण' के रूप में परिभाषित किया गया है; और किसी महिला के संदर्भ में, इसका अर्थ है "महिलाओं के लिए उचित और गरिमामय व्यवहार; विचार, वाणी और आचरण की पूर्ण पवित्रता"। यह वह संकोच

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या लज्जा-बोध है जो अशुद्ध या अश्लील सुझावों के प्रति सहज अरुचि से उत्पन्न होता है। जैसा कि न्यायमूर्ति पैटिसन ने आर बनाम जेम्स लायड प्रकरण में कहा था:

अभियुक्त को बलात्संग के प्रयत्न के साथ हमले का दोषी ठहराने के लिए, न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जब अभियुक्त ने अभियोक्त्री को पकड़ा, तो वह न केवल उसके शरीर पर अपनी काम-वासना तृप्त करना चाहता था, बल्कि उसका आशय हर हाल में, और अभियोक्त्री के किसी भी प्रतिरोध के बावजूद, ऐसा करने का था। बलात्संग के प्रयत्न और अश्लील हमले के अपराधों के बीच अंतर का मुख्य बिंदु यह है कि अभियुक्त की ओर से कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने ही वाला था।

14. वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में मॉड्स्टी (लज्जा/विनम्रता) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "अश्लीलता, अभद्रता या अमर्यादा से मुक्ति; वेशभूषा, वाणी या आचरण में औचित्य के प्रति सम्मान"। ऑक्सफर्ड (1933 संस्करण) में, "लज्जा" शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया गया है: "स्त्रियोचित व्यवहार का औचित्य; विचार, वाणी और आचरण की पूर्ण पवित्रता (चाहे वह पुरुष में हो या स्त्री में); अशुद्ध या अश्लील बातों के प्रति स्वाभाविक अरुचि से उत्पन्न होने वाली संकोच या लज्जा की भावना।”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.इस प्रकार, अभिलेखों पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों—विशेष रूप से पीड़िता के बयान—तथा ऊपर वर्णित विधिक स्थिति का गहन अवलोकन करने के पश्चात्, यह न्यायालय इस सुविचारित निष्कर्ष पर पहुँचा है कि पीड़िता को पकड़कर, उसके चेहरे और माथे पर सिंदूर लगाने के कृत्य द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसकी लज्जा भंग की है। न्यायालय को अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता कि, चूँकि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र अथवा उसकी जाति दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत कर उसे सिद्ध नहीं किया है, अतः अभियुक्त/अपीलार्थी को 'विशेष अधिनियम' की धारा 3(1)(xi) के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता; क्योंकि 'दंड प्रक्रिया संहिता' की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज कराए गए अपने बयान में, अभियुक्त/अपीलार्थी ने स्वयं ही पीड़िता की जाति 'कंवर' (आदिवासी) के रूप में स्वीकार की है। इतना ही नहीं, उसने

अपनी स्वयं की जाति भी 'पनिका' के रूप में स्वीकार की है। अतः, भले ही अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की जाति दर्शाने वाला कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत न किया हो, तथापि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा की गई इस स्पष्ट स्वीकृति के आलोक में, उसे 'विशेष अधिनियम' की धारा 3(1)(xi) के अंतर्गत निश्चित रूप से दोषी ठहराया जा सकता है।

11. परिणामस्वरूप, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साक्षियों के साक्ष्यों के अनुरूप हैं, और इसलिए, विचाराधीन निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में, यह अपील सारहीन है और इसे खारिज किया जाना उचित है। अतः इसे खारिज किया जाता है। आरोपी/अपीलार्थी के बारे में जानकारी मिली है कि वह जमानत पर है। उसकी जमानत बंध-पत्र निरस्त किए जाते है, और उसे तत्काल अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का निर्देश दिया जाता है, ताकि वह उसे दी गई सजा की शेष अवधि पूरी कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
प्रीतिंकर दिवाकर
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Shubhangi Sahu